न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर०ए०एस०

राजस्व अपील सं. 03/2017

अपीलांट्स– बनाम रेस्पोडेंट्स –

1. अमोलकराम पुत्र किशनाराम
2. आदुराम पुत्र किशनाराम

जाति दर्जी निवासी आईजी नगर, रामजी का गोल तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर

1. सुखाराम पुत्र अणदाराम
2. भेराराम पुत्र अणदाराम
   जाति जाट निवासी कुड़ला तहसील बाड़मेर
3. मिश्राराम पुत्र ईशराराम
4. बींजाराम पुत्र ईशराराम
5. आम्बाराम पुत्र ईशराराम
6. खेताराम पुत्र ईशराराम
7. रावताराम पुत्र गणेशाराम
   जाति दर्जी निवासी आईजी नगर, रामजी का गोल तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
8. एस.बी.बी.जे. शाखा गुड़ामालानी जरिये प्रबन्धक
9. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश दिनांक 24.11.2010 जो ग्राम वेरड़ो का पाना (आईजी नगर) के खेत खसरा नम्बर 384 रकबा 20–19 बीघा के विभाजन हेतु पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री कुम्भाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुनिल बी एल रामावात, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से 06 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02, 07 व 08 एकतरफा।
4. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 9 की ओर से उपस्थित।

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

Scanned by CamScanner

राजस्व अपील सं. 04/2017

अपीलांट्स–	*बनाम*	रेस्पोडेंट्स –
1. अमोलकराम पुत्र किशनाराम 2. आदुराम पुत्र किशनाराम जाति दर्जी निवासी आईजी नगर, रामजी का गोल तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		1. ताराराम पुत्र सालुराम 2. सांवलाराम पुत्र सालुराम 3. स्व. नरसिंगा पुत्र सालुराम के वारीसान 3.1. हनुमानराम पुत्र नरसिंगा 3.2. राणाराम पुत्र नरसिंगा 3.3. भरतकुमार पुत्र नरसिंगा 3.4. मु. पार्वती पत्नि नरसिंगा 4. मु. मूली पत्नि सालुराम 5. कुम्भाराम पुत्र जोगाराम 6. चोलाराम पुत्र जोगाराम 7. मिश्राराम पुत्र ईशराराम 8. बींजाराम पुत्र ईशराराम 9. आम्बाराम पुत्र ईशराराम 10. खेताराम पुत्र ईशराराम जाति दर्जी निवासी आईजी नगर, रामजी का गोल तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 11. एस.बी.बी.जे. शाखा गुड़ामालानी जरिये प्रबन्धक 12. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.11.2010 जो ग्राम वोरड़ो का पाना (आईजी नगर) के खेत खसरा नम्बर 284,285,289 व 530 कुल रकबा 50–10 बीघा के विभाजन हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया।

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते बाड़मेर (राज.)

उपस्थिति :–

1. श्री कुम्भाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुनिल बी एल रामावात, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 10 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 11 एकतरफा।
4. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 12 की ओर से उपस्थित।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक : 23/07/2019

1. अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त दोनों अपीलों के समान पक्षकार एवं विवादाधीन विषयवस्तु होने से दोनों अपीलों का निस्तारण इस संयुक्त निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावें। उपरोक्त अपीलें धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार गुड़ामालानी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 24.11.2010 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील संख्या 03/2017 के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा वेरड़ो का पाना (आईजी नगर) के खसरा नम्बर **384** के खातेदारान सुखाराम, भैराराम पि0 अणदाराम जाति जाट हि. 1/2 अमोलकराम, आदुराम पि0 किशनाराम, रावताराम पुत्र गणेशाराम हि. 1/4 मिश्रा, वीजा, आंबा, खेता पि0 ईशराराम जाति दर्जी हि. 1/4 सा0 देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 24.11.2010 तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी पिपराली द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि पक्षकारान के उक्त इकरारनामे की रिकार्ड के आधार पर जांच की गई। वर्णित भूमि उक्त खातेदारों के नाम सह काश्तकारी मे दर्ज है तथा इस इकरारनामे मे भूमि एवं लगान का विवरण सही किया गया है, इसी माफिक सभी पक्षकार सहमत है! इस पर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 449 दिनांक 24.11.2010 पारित किया गया। इस आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील संख्या 03/2017 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.12.2016 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. इसी प्रकार प्रस्तुत अपील संख्या 04/2017 के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा वेरड़ो का पाना (आईजी नगर) के खसरा नम्बर 284,285,289 व 530 कुल रकबा 50.10 के खातेदारान नरसिंगा, ताराराम, सांवलाराम पि0 सालुराम, मूली पत्नी सालुराम हि. 1/6 कुंभा, चोला पि0 जोगा हि. 1/3, अमोलकराम, आदुराम पुत्र किशना हि. 1/4 जाति दर्जी सा0 देह ने प्रार्थना

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

Scanned by CamScanner

पत्र दिनांक 24.11.2010 तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी पिपराली द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि पक्षकारान के उक्त इकरारनामे की रिकार्ड के आधार पर जांच की गई। वर्णित भूमि उक्त खातेदारों के नाम सह काश्तकारी मे दर्ज है तथा इस इकरारनामे मे भूमि एवं लगान का विवरण सही किया गया है, इसी माफिक सभी पक्षकार सहमत है। इस पर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 425 दिनांक 24.11.2010 पारित किया गया। इस आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील संख्या 04/2017 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.12.2016 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश दिनांक 24.11.2010 में विभाजन प्रस्ताव परम्परागत कब्जानुसार नहीं है तथा इस विभाजन से अपीलांट को नहर द्वारा मिलने वाली सुविधा से सदैव के लिए वंचित कर दिया है, विभाजन पक्षकारान के भौतिक कब्जा, भूमि की गुणवत्ता व बाजार मूल्य की दृष्टि से सही नहीं है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इन तथ्यों पर कोई जॉच नहीं की गई। अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालनी द्वारा विधिक भूल की है अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपील के मियाद बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट किया कि त्रुटीपूर्ण आदेश को अपील के माध्यम से चुनौती देने के लिए मयाद का कोई बन्धन नहीं है। अपीलांट्स को इस अपीलाधीन आदेश का वास्तविक ज्ञान नकल प्राप्त करने पर दिनांक 09.12.2016 को हुआ तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मयाद है। अपीलांट्स की दोनों अपीलें अन्दर मयाद शुमार कर स्वीकार फरमावें तथा अपीलाधीन आदेशों को निरस्त कर कब्जा अुनसार व हिस्सा अनुसार विभाजन किए जाने के आदेश फरमावें।

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

Scanned by CamScanner

5. रेस्पोडेन्ट्स की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जवाब मे प्रकट किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंन्ट्स ने आपसी सहमती से करवाए गये बंटवारे के अनुसार वादग्रस्त भूमि की अलग–अलग तरमीम की जा चुकी है जिसका नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम अंकन हो गया है तथा मौके पर पक्षकारान का इसी अनुसार कब्जा काश्त है। पक्षकारान की आपसी सहमती से बंटवाड़ा वर्ष 2010 में करवाया गया है तथा विगत 07 वर्षों तक अपीलांट द्वारा कोई उजर–ऐतराज नहीं किया गया जबकि अपीलांट को विभाजन की प्रारम्भ से ही जानकारी थी। हलका पटवारी द्वारा मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में बाहमी बंटवाड़े के अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव व नक्शा तैयार किया गया था जिसे अपीलांट्स ने स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान किए थे तथा स्वयं अपीलाट्स ने ही तहसीलदार के समक्ष विभाजन प्रस्ताव पेश किया था। अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु पूर्ण सहमती प्रदान की थी। वर्तमान में अपीलांट के नियत में खोट आने के कारण रेस्पोडेन्ट्स की विकसित की गई भूमि को हड़पने की नियत से मनगढ़त एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत यह अपीलें पेश की गई है जो दोनों अपीलें मयाद बाहर है तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण प्रकट नहीं किया गया है, ऐसे में प्रस्तुत दोनों अपीलें सव्यय खारिज फरमाई जावे।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेखों का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि वेरड़ो का पाना (आईजी नगर) के खसरा नम्बर **384** के खातेदारान सुखाराम, भैराराम पि0 अणदाराम जाति जाट हि. 1/2 अमोलकराम, आदुराम पि0 किशनाराम, रावताराम पुत्र गणेशाराम हि. 1/4 मिश्रा, वीजा, आंबा, खेता पि0 ईशराराम जाति दर्जी हि. 1/4 सा0 देह के नाम तथा वेरड़ो का पाना (आईजी नगर) के खसरा नम्बर 284,285,289 व 530 कुल रकबा 50.10 के खातेदारान नरसिंगा, ताराराम, सांवलाराम पि0 सालुराम, मूली पत्नी सालुराम हि. 1/6 कुंभा, चोला पि0 जोगा हि. 1/3, अमोलकराम, आदुराम पुत्र किशना हि. 1/4 जाति दर्जी सा0 देह के नाम राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। पक्षकारान ने आपसी सहमती से उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि का विभाजन करने हेतु दो अलग–अलग विभाजन प्रस्ताव मय विभाजन नक्शा तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष दिनांक 24.11.2010 को प्रस्तुत किए, जिस पर हलका पटवारी पिपराली की रिपोर्ट का अवलोकन कर एवं पक्षकारान की स्वतंत्र सहमती के आधार पर विभाजन प्रस्ताव आदेश दिनांक 24.11.2010 को स्वीकार किया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स का

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Scanned by CamScanner

कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि का विभाजन पक्षकारान के हिस्सा एवं कब्जानुसार नहीं किया गया जिससे पक्षकारान को अच्छी गुणवत्ता एवं नहर वाली भूमि का समान बंटवाड़ा नहीं हुआ है। इसके जवाब में अधिवक्ता रेसपोडेन्ट्स का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारान की उपस्थिति एवं उनकी सम्पूर्ण सहमति से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, जिसकी जानकारी उसी दिन अपीलांट्स को हो गई थी। अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा अपीलों के प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब के सम्बन्ध मे कोई ठोस कारण प्रकट नहीं किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स की उपस्थिति मे ही पारित किया गया है। अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपीलों मे अन्यथा कोई विधिक या वाक्याती तौर पर कोई सारवान त्रुटि होने का तथ्य प्रकट नहीं किया है जिसकी जानकारी तत्समय अपीलांट को नही हुई हों। ऐसे मे प्रथम तो प्रस्तुत अपीलें मयाद बाहर है जिसके बाबत कोई ठोस कारण प्रकट नही किया गया है, द्वितीय कि सहमति से कराये गये विभाजन के विरूद्ध अपील विचारण योग्य भी प्रतीत नही होती है। इस प्रकार अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत उक्त दोनो अपीलें सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ ही मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह दोनो अपीलें सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर अधारित होने एवं मयाद बाहर होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन दोनो आदेश दिनांक 24.11.2010 को यथावत बहाल रखा जाता हैं।

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

आदेश आज दिनांक 23.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Scanned by CamScanner